तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोपाल सिंह वगैराह बनाम वकील सिंह वगैराह मु0नं0 28/2021 एवं 51/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.11.2021	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में एक ओर पत्रावली संख्या 231/2020 विचाराधीन है जो हस्तगत पत्रावली 28/2021 के समान विषयवस्तु की होने के कारण दोनो अपीलो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक खातेदार हनुमानसिंह की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 207 दिनांक 17.06.2000 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद को ग्राम पंचायत श्यामपुरा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के पक्ष में स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट् संख्या 01 व 05 ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील फतेहसिंह बनाम रसाल कंवर को निर्णय दिनांक 09.12.2019 के द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 207 दिनांक 17.06.2000 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार धोद जिला सीकर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि स्व0 हनुमानसिंह के विविधक वारिसो की जांच कर नियमानुसार विरासत के नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण करे। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2019 की पालना में तहसीलदार धोद जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.03.2021 का नवीन नामान्तकरण संख्या 1351 स्वीकार हुआ। न्यायालय उपखण्ड अधिकार धोद जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2019 एवं तहसीलदार धोद जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2021 से दर्ज नामान्तकरण संख्या 1351 से व्यथित होकर अपीलांटस् के द्वारा यह दोनो अपीले प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर दोनो अपीले अपीलान्टान् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2019 एवं तहसीलदार धोद जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.03.2021 से दर्ज नामान्तकरण संख्या 1351 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई। दोनो अपीले प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेंटस की तलबी की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 स्वयं उपस्थित। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने प्रार्थना पत्र राजीनाम पेश किया। अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई। अपील पत्रावली संख्या 28/2021 एवं 51/2021 में अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने प्रार्थना पत्र राजीनाम पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 4.99 हे0 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद में स्थित है व भूमि के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम विरासत का नामान्तकरण होने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने 1/5 भाग में से अपीलांट नं0 1 व 2 को भूमि 0.3372 है0 जरिये पजीकृत विकय पत्र विकय की व उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 26.5.2017 को स्वीकार हो गयेा व इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपने 1/5 भाग में से 0.2248 है0 व रेस्पोडेंट संख्या 3 ने अपने 1/5 भाग में से 0.1124 है0 का जरिये पंजीकृत विकय पत्र विकय की व उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1208 दिनांक 8.1.2019 को स्वीकार फरमा दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 विकय पत्रो को स्वीकार करते है ऐसी स्थिति में जो विकय पत्र अपीलांटस के हक में स्वीकृत किये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोपाल सिंह वगैराह बनाम वकील सिंह वगैराह मु0नं0 28/2021 एवं 51/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गये है के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण को कायम रखा जाकर उसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के हिस्से की भूमि में से कम किये जाने में प्रार्थीयान को कोई आपत्ति नही है। अतः राजीनाम प्रस्तुत कर अपीलांटान की अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी धोद का निर्णय दिनांक 09.12.2019, नामान्तकरण संख्या 1351 दिनांक 10.3.2021 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांटान् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2019 एवं तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा स्वीकार नामान्तकरण संख्या 1351 दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे। मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर दोनो अपीले प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं दोनो अपीले प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार हनुमानसिंह की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत श्यामपुरा द्वारा तस्दीक किया गया विरासत का नामांतरकरण संख्या 207 दिनांक 17.06.2000 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद के संबंध में है। उभय पक्षकारान द्वारा स्वयं ने ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 4.99 हे0 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद में स्थित है व भूमि के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम विरासत का नामान्तकरण होने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने 1/5 भाग में से अपीलांट नं0 1 व 2 को भूमि 0.3372 है0 जरिये पजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की व उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 26.5.2017 को स्वीकार हो गया व इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपने 1/5 भाग में से 0.2248 है0 व रेस्पोडेंट संख्या 3 ने अपने 1/5 भाग में से 0.1124 है0 का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की व उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1208 दिनांक 8.1.2019 को स्वीकार फरमा दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 विक्रय पत्रो को स्वीकार करते है ऐसी स्थिति में जो विक्रय पत्र अपीलांटस के हक में स्वीकृत किये गये है के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण को कायम रखा जाकर उसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के हिस्से की भूमि में से कम किये जाने में प्रार्थीयान को कोई आपत्ति नही होने तथा अपीलांटान की अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी धोद का निर्णय दिनांक 09.12.2019, नामान्तकरण संख्या 1351 दिनांक 10.3.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। हम उभय पक्षकारान द्वारा अपील में प्रस्तुत राजीनामा को मद्देनजर	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोपाल सिंह वगैराह बनाम वकील सिंह वगैराह मु0नं0 28/2021 एवं 51/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रखते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत दोनो अपील संख्या 28/2021 व 51/2021 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2019 एवं तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा स्वीकार नामान्तकरण संख्या 1351 दिनांक 10.03.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धोद जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण की विस्तृत जॉच करते हुये समस्त प्रभावित पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की एक–एक प्रति अपील संख्या 28/2021 व 51/2021 की पत्रावलियों के संलग्न की जाये। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। 16/11/2021. (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner